<u>प्रोन्नति समिति की बैठक</u>

<u>दिनांकित 05.06.2024 का कार्यवृत्त</u>

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 7839/VI C-10/Admin D Section /Allahabad दिनांकित 31.05.2024 के अनुपालन हेतु एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार इस अधिष्ठान में कार्यरत समूह 'घ' के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समूह 'ग' लिपिकीय संवर्ग तृतीय श्रेणी में कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में दिनांक 05.06.2024 को समय 01.45 बजे प्रोन्नति समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष के विश्राम कक्ष में आहूत की गयी। बैठक में अध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यगण श्रीमती रितिका त्यागी, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-05, एवं श्री ज्ञानेन्द्र कुमार-I, अपर सिविल जज(सी०डि०) भी उपस्थित हुए।

समूह 'घ' के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समूह 'ग' लिपिकीय संवर्ग तृतीय श्रेणी में कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में उ०प्र० राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली 2013 तथा उ०प्र० जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2017 का सम्यक परिशीलन व अवलोकन किया गया। उ०प्र० जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2017 की अनुसूची ख के अन्तर्गत क्रम संख्या 05 पर प्रतिस्थापित प्रविष्टियों में प्राविधानित किया गया है कि कनिष्ठ सहायक के (क) 80% पद प्रतियोगी परीक्षा करवा कर, सीधी भर्ती द्वारा (ख) 20% पद हाईस्कूल तक अर्हता रखने वाले न्यूनतम 5 वर्ष की मौलिक और संतोष जनक सेवा के साथ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर समूह 'घ' के कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री सुहैब अहमद, प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, जनपद न्यायालय फर्रूखाबाद द्वारा आख्या दिनांकित 03.06.2024 प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार इस अधिष्ठान में कनिष्ठ सहायक के कुल 81 पद स्वीकृत है, उ०प्र० राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली 2013 के अनुसार कनिष्ठ सहायक के कुल सृजित पदों के सापेक्ष 20 प्रतिशत अर्थात 1/5 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण से तृतीय श्रेणी (कनिष्ठ सहायक) पद पर प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने है। चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में प्रोन्नति हेतु 16 पद रिक्त है। वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर कोई भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रोन्नति के आधार पर नियुक्त नही है।

उक्त के क्रम में प्रोन्नति समिति द्वारा विचार-विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह मत व्यक्त किया गया कि इस अधिष्ठान में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों के सापेक्ष, उ०प्र० राज्य जिला न्यायालय सेवा नियमावली 2013 तथा उ०प्र० जिला न्यायालय सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली 2017 में विहित प्रावधानों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की प्रोन्नति के सम्बन्ध में समूह 'घ' संवर्ग के ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु अर्ह एवं इच्छुक हों, से आवेदन पत्र आहूत कर प्रोन्नति के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह प्रस्तावित किया जाता है कि समूह 'घ' के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से समूह 'ग' के तृतीय श्रेणी लिपिकीय संवर्ग में कनिष्ठ सहायक के पद , वेतनमान 5200-20200, ग्रेड वेतन 2000/- में 16 रिक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु योग्य एवं अर्ह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण से दिनांक 01.07.2024 को सायं 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-1) पर आवेदन आहूत किये जा सकते हैं जिनकी अन्य शर्तें निम्न दो हो सकती हैं-

1. आवेदन पत्र सम्पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए।
2. आवेदन पत्र सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से अग्रसारित होना चाहिए।

अतः यदि श्रीमान् जी की अनुमति हो तो उक्त रूप से वर्णित शर्तों के अधीन निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-1) पर आवेदन आहूत करने हेतु सूचना जनपद न्यायालय, फर्रुखाबाद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जा सकती है तथा जनपद न्यायालय फर्रुखाबाद की वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। साथ ही इस बावत बाह्य न्यायालय कायमगंज व ग्राम न्यायालय अमृतपुर के नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा की जा सकती है।

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(श्री ज्ञानेन्द्र कुमार-I) सदस्य समिति/अपर सिविल जज (सी० डि०), फर्रूखाबाद।	**(रितिका त्यागी)** सदस्य समिति/ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-05, फर्रूखाबाद।	**(अभिनितम उपाध्याय)** अध्यक्ष समिति/ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-03 फर्रूखाबाद।

<u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करें।

1. आवेदक का पूरा नाम -
2. पिता का पूरा नाम –
3. माता का पूरा नाम -
4. वर्तमान में धारित पद का नाम –
5. वर्तमान में पदस्थापन न्यायालय/ अनुभाग-
6. जन्म तिथि –(अंकों में)-

   (शब्दों में)

7. सेवा में योगदान की तिथि -
8. दिनांक 31.05.2024 तक सेवावधि -
9. शैक्षिक योग्यता का विवरण(सत्यापित प्रपत्र संलग्न करें) –
10. आवेदक की जानकारी में आवेदक के विरूद्ध यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टि है या उसके विरूद्ध कोई विभागीय जाँच लम्बित है, तो उसका सम्पूर्ण विवरण -
11. आवेदक इस आशय की घोषणा करेंगे कि – आवेदक द्वारा दी गयी उक्त समस्त सूचना आवेदक की निजी जानकारी मे सम्पूर्ण रूप से सत्य है। उक्त जानकारी भिन्न/गलत पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन निरस्त कर दिये जान में आवेदक कोई भी आपत्ति नहीं होगी।

दिनांक- **आवेदक के हस्ताक्षर**

स्थान-

नोट-

3. आवेदन पत्र सम्पूर्ण रूप से भरे होने चाहिए।
4. आवेदन पत्र सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी से अग्रसारित होना चाहिए।
5. आवेदन पत्र प्रत्येक दशा में 01.07.2024 को सायं 5 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त करा दिया जाये। उसके उपरान्त प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।